ई-मेल ①

आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–104/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)11–12 दिनांक 25 नवम्बर–2011

विषयः इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–1461/38–4–10–07बजट/2011, दिनांक 08–11–2011 एवं शुद्धि पत्र शासनादेश संख्या–2178/38–4–2011, दिनांक 22–11–2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से रू0 2686.00 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ छियासी लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहू जी महराजनगर को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। उक्त सम्बन्धित जनपदों द्वारा अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

4– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 08–11–2011 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

6– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा0–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–186 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ०प्र०।

पत्रॉकः–जीओ–104 /सम्प्रेक्षा/आई०ए०वाई(सामान्य) 2011–12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद ।
3– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
4– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
5– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6– समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
7– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
8– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
10– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
11– विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्र संख्या–1461/38–4–10–07बजट/2011, दिनांक 08–11–2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ०प्र०

पत्र संख्या–जीओ–104/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई0 (सा0)/2011–12, दिनांक–25 नवम्बर 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.000	0.00
2	GHAZIABAD	0.000	0.00
3	BULANDSHAHAR	27.520	77.85
4	G.B. NAGAR*	5.620	5.62
5	BAGPAT	0.990	0.99
6	SAHARANPUR	38.700	214.67
7	MUZAFARNAGAR	30.440	85.41
8	MORADABAD	41.980	232.84
9	BIJNOR	41.570	158.50
10	RAMPUR	24.320	72.34
11	J.B.F. NAGAR	12.420	34.87
12	BAREILLY	31.730	89.03
13	BADAUN	45.720	178.94
14	SHAHJAHANPUR	48.830	270.85
15	PILIBHIT	41.370	145.11
16	AGRA	26.830	76.62
17	MAINPURI*	18.380	51.57
18	MATHURA	16.280	45.71
19	FIROZABAD	0.000	0.00
20	ALIGARH	0.000	0.00
21	ETAH	16.590	46.56
22	KANSHIRAM NAGAR	12.810	35.96
23	HATHRAS	0.000	0.00
24	JHANSI	10.380	127.22
25	JALAUN	11.740	111.73
26	LALITPUR	8.570	30.21
27	BANDA	10.330	28.98
28	HAMIRPUR	6.910	65.78
29	MAHOBA	5.230	49.82
30	CHITRAKUT	6.300	17.70
31	ALLAHABAD	40.580	225.13
32	FATEHPUR	35.910	199.21
33	PRATAPGARH	39.590	217.13
34	KAUSHAMBHI	21.990	64.08
35	KANPUR NAGAR	28.400	79.69
36	KANPUR DEHAT	27.690	77.69
37	ETAWAH	19.460	59.77
38	FARRUKHABAD	23.060	64.72

पत्र संख्या–जीओ–104 / सम्प्रेक्षा / आई0ए0वाई0 (सा0) / 2011–12, दिनांक–25 नवम्बर 2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
39	KANNAUJ	17.120	48.07
40	ORRAIYA	19.160	55.92
41	VARANASI	22.170	63.28
42	GHAZIPUR	40.020	221.99
43	JAUNPUR	77.340	428.99
44	CHANDAULI	18.650	53.14
45	MIRZAPUR	25.830	72.49
46	SONBHADRA	19.270	63.09
47	S. R. NAGAR	15.720	44.12
48	LUCKNOW	30.330	94.05
49	SITAPUR	99.380	551.23
50	UNNAO	55.050	305.35
51	HARDOI	58.140	322.50
52	KHERI	164.800	916.66
53	RAE BARELI	50.390	279.46
54	GORAKHPUR	76.750	425.71
55	DEORIA	83.590	463.68
56	KUSHINAGAR	263.970	1426.31
57	MAHRAJGANJ	69.470	385.34
58	BASTI	45.670	130.35
59	SIDHARTHNAGAR	28.890	81.06
60	S.K.NAGAR	27.890	78.27
61	AZAMGARH	58.870	326.58
62	MAU	22.340	62.71
63	BALLIA	87.160	250.82
64	FAIZABAD	30.120	161.84
65	BARABANKI	74.650	414.09
66	SULTANPUR	44.440	246.52
67	AMBEDKARNAGAR	25.340	71.11
68	GONDA	85.510	474.34
69	BAHRAICH	95.200	271.11
70	BALRAMPUR	41.280	228.99
71	SHRAWASTI	33.250	93.30
	STATE TOTAL	2686.00	12354.76

(रू0 छब्बीस करोड़ छियासी लाख मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

(5)

संख्या–1461/38–4–10–07बजट/2010

प्रेषक,

रिग्जियान सैम्फिल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–08 नवम्बर, ,2011

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी0ओ0–95/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0 / 2011–12 ,दिनांक– 07सितम्बर,2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2011–12 के लिए अनुदान संख्या–13 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0–100.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या– 677/38–4–11– 07बजट/10,दिनांक–07 अप्रैल, 2011 द्वारा रू0–25.00 करोड (रूपये पचीस करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या– 1150/ 38–4–11–07 बजट/10, दिनांक– 30 जून, 2011 द्वारा रू0–23.4050 करोड़ (रूपये तेइस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र) एवं संख्या– 1603/38–4–10–07 बजट/2010, दिनांक–15–9–2011 द्वारा रू0–4828.26 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। अवशेष धनराशि में से रू0–26.86 करोड़ (रूपये छब्बीस करोड़ छियासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने केउपरान्त किया जायेगा तथ भारत सरकार से केन्द्राश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

7– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम– 702–जवाहर ग्राम समृद्वि योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं– 05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा –25–रा0)–27– सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पंत्र संख्या–ई–2–722/दस– 2011 दिनांक– 01 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रिग्जियान सैम्फिल)
विशेष सचिव।

संख्या–1461(1)/38–4–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास,उ0 प्र0/निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संवधित जनपद के कोषाधिकारी।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7

121 गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी

(8)

संख्या–1461/38–4–10–07बजट/2010

प्रेषक,

रिग्जियान सैम्फिल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–08 नवम्बर, ,2011

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी0ओ0–95/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0 / 2011–12 ,दिनांक– 07सितम्बर,2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष–2011–12 के लिए अनुदान संख्या–13 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0–100.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या– 677/38–4–11– 07बजट/ 10,दिनांक–07 अप्रैल, 2011 द्वारा रू0–25.00 करोड (रूपये पचीस करोड़ मात्र) एवं शासनादेश संख्या– 1150/ 38–4–11–07 बजट/10, दिनांक– 30 जून, 2011 द्वारा रू0–23.4050 करोड़ (रूपये तेइस करोड़ चालीस लाख पचास हजार मात्र) एवं संख्या– 1603/38–4–10–07 बजट/2010, दिनांक–15–9–2011 द्वारा रू0–4828.26 लाख (रूपये अड़तालिस करोड़ अट्ठाइस लाख छब्बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है। अवशेष धनराशि में से रू0–26.86 करोड़ (रूपये छब्बीस करोड़ छियासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने केउपरान्त किया जायेगा तथ भारत सरकार से केन्द्राश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

4– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

6– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

7– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम– 702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं– 05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा –25–रा0)–27– सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

9– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पंत्र संख्या–ई–2–722/दस– 2011 दिनांक– 01 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रिग्जियान सैम्फिल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या–1461(1)/38–4–11 तद्‌दिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास,उ0 प्र0/निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संवंधित जनपद के कोषाधिकारी।
8. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
9. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
10. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7

121 गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–4
संख्या–[…]/38–4–2011
लखनऊ:दिनांक–21 नवम्बर, ,2011

शुद्धि–पत्र

इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 में शासनादेश संख्या–1461/38–4–11–07 बजट/2010,दिनांक– 08 नवम्बर, 2011 द्वारा रू0–26.86 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में त्रुटिवश अंकित प्राविधानित धनराशि रू0–100.00 करोड़ अंकित हो गया है जबकि अनुपूरक मांग सहित बजट व्यवस्था रू0–199.3129 करोड़ है।

2– अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में त्रुटिवश अंकित बजट प्राविधानित धनराशि रू0–100.00 करोड़ के स्थान पर बजट प्राविधानित धनराशि रू0–199.3129 करोड पढ़ा जाय। कृपया उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या– 2178/38–4–11तद्दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त,ग्राम्य विकास,उ0 प्र0,लखनऊ।
2–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3–.संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5–सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6–अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास,उ0 प्र0/निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश
7–संयुक्त सचिव,ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8–संवंधित जनपद के कोषाधिकारी।
9–वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10–राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11–ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
12–गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी